

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

शशि भूषण पोद्दार

बनाम

ज्ञान भारती उर्फ रेखा पोद्दार एवं एक अन्य

2019 की विविध अपील सं.336

02 सितंबर 2025

(माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्रसाद सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अपीलकर्ता तलाक की डिक्री प्रदान करने के लिए प्रतिवादी पर क्रूरता और व्यभिचार के आरोप को साबित करने में सक्षम रहा है?

हेडनोट्स

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 - 13(1) - तलाक के आधार के रूप में क्रूरता और व्यभिचार - तलाक की डिक्री के लिए अपीलकर्ता के वैवाहिक मुकदमे को खारिज करने वाले निर्णय और डिक्री के विरुद्ध अपील।

निर्णय: यद्यपि हिंदू विवाह अधिनियम में 'क्रूरता' शब्द को विशिष्ट शब्दों और भाषा में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि क्रूरता ऐसे चरित्र और आचरण की है जो दूसरे पति या पत्नी के मन में उचित आशंका पैदा करती है कि उसके लिए ओ.पी.-प्रतिवादी के साथ रहना हानिकारक और नुकसानदेह होगा - शिकायत किया गया उपचार और परिणामी खतरा या आशंका बहुत गंभीर, पर्याप्त और वजनदार होनी चाहिए - केवल मामूली चिड़चिड़ाहट, झगड़ा, विवाहित जीवन की सामान्य टूट-फूट जो दिन-प्रतिदिन होती है, मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं होगी - वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता क्रूरता के आरोप को साबित करने में विफल रहा है, और प्रतिवादी के क्रूर व्यवहार के फैसले को तो और भी कम, जो तलाक के फैसले को देने के

लिए कानूनी रूप से आवश्यक है - पारिवारिक न्यायालय के समक्ष शिकायत में कथित क्रूरता की विशिष्ट तारीख के संदर्भ में एक भी घटना का आग्रह नहीं किया गया है - व्यभिचार को एक विवाहित व्यक्ति द्वारा विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है - व्यभिचार के अपराध में आवश्यक तत्व हैं: (i) विवाहेतर यौन संबंध होना चाहिए, और (ii) ऐसा संबंध स्वैच्छिक होना चाहिए - इस मामले में, अपीलकर्ता ने यह दर्शाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 का प्रतिवादी संख्या 2 के साथ अवैध संबंध था, न ही उसने यह साबित किया है कि वे व्यभिचार में रह रहे थे और केवल तलाक याचिका में एक वैध आधार बनाने के लिए - आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है - अपील खारिज की जाती है।

(पैरा - 25, 26, 28-32)

#### न्याय दृष्टान्त

समर घोष बनाम जया घोष, 2007 (4) एससीसी 511; नारायण गणेश दास्ताने बनाम सुचेता नारायण दास्ताने एआईआर 1975, 1534.....पर भरोसा किया गया।

#### अधिनियमों की सूची

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984; हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

#### मुख्य शब्दों की सूची

वैवाहिक विवाद; हिंदू कानून के तहत तलाक के आधार; क्रूरता; व्यभिचार; तलाक की डिक्री जारी करने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक क्रूरता की डिक्री; विवाह विच्छेद; व्यभिचार के तत्व।

#### प्रकरण से उत्पन्न

विवाह वाद संख्या 58/2008 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, भागलपुर द्वारा दिनांक 27.02.2019 को पारित निर्णय और डिक्री, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा विवाह विच्छेद पर तलाक की डिक्री के लिए प्रस्तुत वैवाहिक वाद खारिज कर दिया गया है।

**पक्षकारों की ओर से उपस्थिति**

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री राधा रमन वर्मा

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री सुमन कुमार

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम

**माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश**

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में  
2019 की विविध अपील सं.336**

=====

शशि भूषण पोद्दार, पुत्र-स्व. सत्य नारायण पोद्दार, निवासी-चमरा गुडाम लेन (बुरहानाथ रोड),  
खलीफाबाग, थाना-कोतवाली, जिला- भागलपुर।

.... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. ज्ञान भारती उर्फ रेखा पोद्दार, पति-शशि भूषण पोद्दार, निवासी-चमरा गुडाम लेन, (बुरहानाथ रोड), खलीफाबाग, थाना- कोतवाली, जिला-भागलपुर।
2. बिजय उर्फ बिनय कुमार पोद्दार, पुत्र-श्री अनुपलाल पोद्दार, निवासी, मोहल्ला-सिकंदरपुर थाना-मोजाहिदपुर, डाकघर-मिर्जाहाट, जिला-भागलपुर।

... उत्तरदाता/ओं

=====

**उपस्थिति :-**

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री राधा रमन वर्मा

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री सुमन कुमार

=====

कोरम: माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्रसाद सिंह

सीएभी निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्रसाद सिंह)

तिथि: 02-09-2025

पक्षकारों को सुना गया।

2. वर्तमान अपील परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (1) के तहत दायर की गई है, जिसमें 2008 के वैवाहिक मामला संख्या 58 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, भागलपुर द्वारा पारित दिनांक-27.02.2019 के निर्णय और डिक्री को चुनौती दी गई है, जिसके तहत विवाह-भंग पर तलाक की डिक्री के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर वैवाहिक मुकदमे को खारिज कर दिया गया है।

3. अपीलकर्ता का मामला पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दायर याचिका के अनुसार यह है कि अपीलकर्ता का विवाह हिंदू संस्कार और प्रथा के अनुसार दिनांक-01.03.1993 को उत्तरदाता संख्या 1 के साथ किया गया था और विवाह के बाद दोनों पक्षों ने एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जीना शुरू कर दिया और वर्ष 1995 में उनके विवाह से एक पुत्र का जन्म हुआ और अब उसकी आयु लगभग 13 वर्ष (यह मामला दायर करने के समय) है। अपीलकर्ता पुआल का थोक व्यापार कर रहा था और उक्त व्यवसाय में नुकसान के कारण अंततः उक्त व्यवसाय बंद हो गया। अपीलकर्ता के पास चमरा गोदाम लेन में एक दो मंजिला इमारत है और पहली मंजिल का उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिए किया जा रहा था और भूतल पर तीन कमरे किराए पर थे। पुआल व्यवसाय बंद करने के बाद, अपीलकर्ता ने खुद को निजी नौकरी में लगा लिया। यह आगे दलील दिया गया है कि उत्तरदाता संख्या 2, जो एक निजी चिट फंड कंपनी, रिपर्स क्लिप इंडिया में प्रबंधक था, जो अपीलकर्ता के घर के भूतल पर कार्यरत थी और अपीलकर्ता को पहले से जानता था और उसी जाति का था, कभी-

कभी अपीलकर्ता के घर आता था। अपीलकर्ता का आरोप है कि वह अपनी निजी नौकरी में व्यस्त था जिससे उत्तरदाता संख्या 1 और 2 को एक-दूसरे के साथ घनिष्ठता विकसित करने का मौका मिला क्योंकि उत्तरदाता संख्या 1 बहुत महत्वाकांक्षी महिला थी और वित्तीय संकट के कारण अपीलकर्ता उसकी इच्छा पूरी करने में सक्षम नहीं था। अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि उत्तरदाता संख्या 1 और 2 में वर्ष 2002 में घनिष्ठता विकसित हुई और तब से उत्तरदाता संख्या 1 उत्तरदाता संख्या 2 के साथ व्यभिचार में रह रही है और इस कारण से, अपीलकर्ता ने अपनी माँ से अपने पुत्र को अपने साथ रखने का अनुरोध किया। अपीलकर्ता ने उत्तरदाता संख्या 2 को उसके घर आने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए लेकिन यह उत्तरदाता संख्या 1 ही थी जो हिंसक हो गयी और उसे एक झूठे मामले में फंसाने के लिए कहा, अगर वह उत्तरदाता संख्या 2 को अपने घर आने की अनुमति नहीं देता है। अपीलकर्ता द्वारा आगे यह दलील दिया गया है कि वर्ष 2003 के होली उत्सव के बाद से, उसका उत्तरदाता संख्या 1 के साथ कोई संबंध नहीं है। उत्तरदाता संख्या 1 ने वर्ष 2004 में एक पुरुष बच्चे को जन्म दिया और अपीलकर्ता के पास यह मानने का कारण है कि उक्त बच्चे का जन्म उत्तरदाता संख्या 1 और 2 के बीच अवैध संबंध से हुआ था। वर्ष 2007 में, अपीलकर्ता तपेदिक का रोगी बन गया, लेकिन उत्तरदाता संख्या 1 ने उसकी देखभाल नहीं की और अंततः उसकी माँ उसे जनवरी 2008 के महीने में मंडीचक अपने निवास पर ले आई और तब से अपीलकर्ता अपने माँ के साथ डॉक्टर के इलाज के तहत रह रहा है। उत्तरदाता संख्या 1 अपीलकर्ता की देखभाल करने के लिए मंडीचक नहीं आई और वह उत्तरदाता संख्या 2 के साथ व्यभिचारी जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो गई। इसलिए, अपीलकर्ता ने प्रार्थना की कि अपीलकर्ता और उत्तरदाता संख्या 1 के बीच विवाह को विघटित घोषित किया जाए और उसके पक्ष में तलाक की डिक्री पारित की जाए।

4. न्यायालय द्वारा जारी समन/नोटिस के जवाब में, उत्तरदाता/विपक्षी उपस्थित हुए और अपना जवाब/लिखित बयान दाखिल किया।

5. उत्तरदाता संख्या 1 ने अपने लिखित बयान/जवाब में कहा है कि अपीलकर्ता द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे, मनगढ़ंत और बिना किसी आधार के हैं। उसने स्वीकार किया है कि उसने 01.03.1993 को अपीलकर्ता के साथ शादी की और एक पुत्र का जन्म वर्ष 1995 में हुआ था। अपीलकर्ता चमरा गोदाम लेन में अपना आवासीय घर पहले ही अपने छोटे भाई को एक पंजीकृत बिक्री-विलेख द्वारा बेच चुका है और वर्तमान में, उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली है। उत्तरदाता संख्या 1 ने स्वयं अपने पुत्र को उसकी सास के साथ उसकी उचित शिक्षा के लिए भेजा था। उत्तरदाता संख्या 1 ने उत्तरदाता सं. 2 के साथ किसी भी अवैध संबंध से पूरी तरह से इनकार किया और उत्तरदाता सं. 2 के साथ अवैध संबंध से दूसरे बच्चे के जन्म का आरोप बेशर्म, झूठा और निराधार है। उत्तरदाता संख्या 1 ने स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता तपेदिक का रोगी है, लेकिन वह आरोप लगाती है कि जब भी वह अपने पति की देखभाल करने जाती थी, तो उसकी सास और अन्य ससुराल वालों ने उसे उसके घर में घुसने से रोक दिया और उसके साथ दुर्व्यवहार और हमला भी किया। वह अभी भी अपीलकर्ता के साथ वैवाहिक जीवन छोड़ने के लिए तैयार है।

6. उत्तरदाता संख्या 2 भी उपस्थित हुआ और उसने कारण बताओ आवेदन दायर किया, जिसमें उसने अपीलकर्ता द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन किया और कहा कि उसने अपीलकर्ता के घर पर कोई चिटफंड कंपनी शुरू नहीं की है। उत्तरदाता संख्या 1 के साथ अवैध संबंध होने का आरोप झूठा और मनगढ़ंत है तथा यह 1,52,000/- रुपये की राशि हड़पने के लिए लगाया गया था, जो उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा अपीलकर्ता को मानवीय आधार पर दी गई थी।

7. दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस मामले में निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे:

1. क्या तैयार किया गया मामला विचारणीय है?

2. क्या अपीलकर्ता के पास यह मामला दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण है?

3. क्या उत्तरदाता संख्या 1 अपीलकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है?

4. क्या आवेदक तलाक की डिक्री का हकदार है?

5. क्या याचिकाकर्ता किसी अन्य राहत या राहतों का हकदार है?

8. मुकदमे के दौरान, अपीलकर्ता की ओर से कुल चार गवाह पेश किए गए हैं।

9. अ.सा.-1 लखन लाल पोद्दार अपीलकर्ता के चाचा हैं जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि उन्होंने वर्ष 2000 में देखा है कि उत्तरदाता सं. 1 उत्तरदाता सं. 2 के साथ रिक्शा पर यात्रा कर रहा था और दोनों एक चिट फंड कंपनी में काम कर रहे थे।

10. अ.सा.-2 आनंद पोद्दार अपीलकर्ता का भाई है जिसने बयान दिया है कि उसने वह घर खरीदा है जो उसे आवंटित किया गया था और उत्तरदाता संख्या 1 ने दहेज का मामला दायर किया है।

11. अ.सा.-3 सुमित्रादेवी अपीलकर्ता की माँ हैं, जिन्होंने बयान दिया है कि उत्तरदाता संख्या 1 2006 से अपने पति से अलग हैं और वर्तमान में वह खलीफा बाग में स्थित घर में रह रही हैं।

12. अ.सा.-4 शशि भूषण पोद्दार स्वयं अपीलकर्ता हैं जिन्होंने अपने मामले का समर्थन किया है और कहा है कि उत्तरदाता संख्या 1 खलीफा बाग में स्थित घर में उत्तरदाता संख्या 2 के साथ रह रही है। उसने आगे बयान दिया है कि उसने उपरोक्त घर को पंजीकृत विलेख के माध्यम से अपने भाई को बेच दिया है, लेकिन उत्तरदाता संख्या 1 और 2 जबरन उपरोक्त घर में रह रहे हैं।

13. उत्तरदाता-विरोधी पक्ष ने उसके मामले के समर्थन में पांच गवाहों को भी पेश किया है।

14. वि.अ.सा.-1 लक्ष्मी पोद्दार, जिन्होंने उत्तरदाता के संस्करण का समर्थन किया है और कहा है कि उत्तरदाता संख्या 2 ने ऋण के रूप में अपीलकर्ता को उसके उपचार के लिए रु. 1,52,000 दिए थे। अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने प्रताड़ित किया और दहेज की मांग की जिसके लिए उसने 2008 का शिकायत मामला संख्या 3334 दायर किया है। अपीलकर्ता ने खलीफाबाग में स्थित अपना घर भी पंजीकृत बिक्री-विलेख के माध्यम से अपने भाई आनंद पोद्दार को बेच दिया है और उसने 2010 का निष्कासन मुकदमा संख्या 19 दायर किया है जो लंबित है। उसने अपनी प्रति-परीक्षण में कहा है कि अपीलकर्ता वर्ष 2003 में बीमार हो गया था और उसने प्रतिवादी संख्या 2 को वर्ष 2003 में अपीलकर्ता के घर पर कई बार देखा था और उत्तरदाता संख्या 1 शिक्षक की नौकरी कर रही है।

15. वि.अ.सा.-2 राम दुलारी देवी उत्तरदाता-पत्नी की माँ हैं, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान उत्तरदाता संख्या 1 के मामले का समर्थन किया है और कहा है कि अपीलकर्ता और परिवार के अन्य सदस्य हमेशा उनकी बेटी को प्रताड़ित करते थे, जब भी वह अपने वैवाहिक घर जाती थी। उसने अपनी प्रति-परीक्षण में उत्तरदाता संख्या 2 की पहचान करने से इनकार कर दिया।

16. वि.अ.सा.-3 पप्पु पासवान ने भी उत्तरदाता संख्या 1 के मामले का समर्थन किया है।

17. वि.अ.सा.-4 चंद्र सूरज कुमार अपीलकर्ता के भतीजे हैं और उन्होंने उत्तरदाता संख्या 1 के मामले का समर्थन किया और इस गवाह ने यह भी कहा कि उन्होंने रु. 12,000/- कई किशतों में अपीलकर्ता को उसके इलाज के लिए दिये थे। इस गवाह ने अपनी प्रति-परीक्षण में कहा है कि अपीलकर्ता तपेदिक से पीड़ित है।

18. वि.अ.सा.-5 गयान भारती, उत्तरदाता संख्या 1 है और अपीलकर्ता की पत्नी हैं जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में अपने पक्ष का समर्थन किया है और कहा है कि शादी के बाद, वह चामरा गोदाम लेन में स्थित घर में रहती थी। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके पति (अपीलकर्ता) ने अपने इलाज के लिए उत्तरदाता संख्या 2 से 2 लाख रुपये ऋण के रूप में लिए थे। अपीलकर्ता ने उसके माता-पिता से 1 लाख रुपये भी लिए हैं, लेकिन आज तक उसने उपरोक्त राशि वापस नहीं की है। वर्ष 2008 में, अपीलकर्ता के भाई और माँ ने उत्तरदाता संख्या 1 की सहमति के बिना अपीलकर्ता को जबरन मंडीचक स्थित घर में वापस ला दिया। यह आगे दलील दिया गया है कि उसके बहनोई ने बिना कोई राशि दिए जबरन चामरा गोदाम लेन में घर को उसके पक्ष में पंजीकृत कराया। यह आगे दलील दिया गया है कि अपीलकर्ता और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा दी गई यातना के कारण, वह हृदय रोगी बन गई और 11-08-14 को सिकंदराबाद (ए.पी.) में एक ओपन हार्ट सर्जरी की गई थी। इस गवाह ने कहा है कि वह 2007 से पंचायत शिक्षक के रूप में कार्यरत है और 2000 से चमरा गोदाम लेन खलीफाबाग में स्थित घर में रह रही है और वह यह कहने में असमर्थ थी कि कोई भी चिट फंड कंपनी 1998 से घर के भूतल पर अपना व्यवसाय चला रही थी या नहीं। उसने आगे यह भी कहा है कि उत्तरदाता संख्या 2 अपीलकर्ता का मित्र है और उसने उसकी उपस्थिति में अपीलकर्ता को 2 लाख रुपये दिए थे। उसने यह भी कहा है कि वह दूसरे बच्चे के लिए डीएनए परीक्षण के लिए तैयार है।

19. मुकदमे के समापन के बाद, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपीलकर्ता ने यह साबित नहीं किया है कि वह उत्तरदाता संख्या 1 के हाथों क्रूरता के अधीन था और साथ ही उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा व्यभिचारी जीवन व्यतीत कर रही थी और अपीलकर्ता द्वारा दायर किया गया मामला विचारणीय नहीं है और साथ ही अपीलकर्ता के पास तत्काल मामला दायर करने के लिए कार्रवाई का कोई वैध कारण नहीं है। तदनुसार, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अपीलकर्ता क्रूरता के

साथ-साथ व्यभिचार के आधार पर तलाक की डिक्री का हकदार नहीं था और तदनुसार मुकदमा खारिज कर दिया गया था।

20. इसके बाद, 2008 के वैवाहिक मामला संख्या 58 में परिवार न्यायालय के विद्वान प्रधान न्यायाधीश द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण, वर्तमान अपील अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई है।

21. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दलील दिया है कि विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री खराब है और विवेकपूर्ण दिमाग के उपयोग के बिना यांत्रिक रूप से पारित किया गया प्रतीत होता है। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित गवाहों ने कहा है कि विवाह के बाद से ही उत्तरदाता संख्या 1 का व्यवहार अपने पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के प्रति सौहार्दपूर्ण नहीं था तथा वह हमेशा उनके साथ दुर्व्यवहार करती थी। उत्तरदाता संख्या 1 का उत्तरदाता संख्या 2 के साथ अवैध संबंध है और वर्तमान में, वह व्यभिचार में उत्तरदाता संख्या 2 के साथ रह रही है और उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया है। गवाहों ने अपनी प्रति-परीक्षण में कहा है कि उन्होंने कई मौकों पर उत्तरदाता संख्या 1 और 2 को एक साथ देखा था। इसलिए, क्रूरता और व्यभिचार दोनों के आरोप स्थापित हैं।

22. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दलील दिया है कि आक्षेपित निर्णय और डिक्री न्यायसंगत और कानून के अनुसार है। विद्वत विचारण न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की उचित सराहना की है और अपीलकर्ता की ओर से दायर तलाक के मुकदमे को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

23. प्रतिद्वंद्वी दलीलों, साक्ष्यों और दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, इस अपील में निर्धारण के लिए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

(i) क्या अपीलकर्ता अपनी याचिका/अपील में मांगी गई राहत का हकदार है।

(ii) क्या प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना का आक्षेपित निर्णय कानून की नजर में न्यायसंगत, उचित और टिकाऊ/मान्य है।

24. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के अवलोकन और अपीलकर्ता और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों के साथ-साथ अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता-पति ने अपने साक्ष्य में बयान दिया है कि उत्तरदाता-पत्नी हमेशा उसके और उसके परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ा करती थी, लेकिन वाद में और उसके साक्ष्य में तारीख का कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दिया गया है। उन्होंने अपने साक्ष्य में यह भी स्वीकार किया है कि इस तलाक का मामला दायर करने से पहले, पिछले पांच वर्षों से, अपीलकर्ता और उत्तरदाता सं. 1 के बीच पति और पत्नी के रूप में कोई संबंध नहीं था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि किस परिस्थिति में, उन्होंने तलाक की याचिका दायर करने के लिए पांच साल तक इंतजार किया है। अपीलकर्ता ने उत्तरदाता संख्या 2 के साथ उत्तरदाता संख्या 1 के अवैध संबंध के संबंध में कोई सबूत भी अभिलेख पर नहीं लाया है। अपीलकर्ता के द्वारा किसी भी ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य को अभिलेख पर नहीं लाया गया है जिससे यह पता चल सके कि उत्तरदाता संख्या 1 और उत्तरदाता संख्या 2 व्यभिचार में रह रहे हैं। अपीलकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका भी दायर नहीं की है जो यह दर्शाता है कि वह उत्तरदाता संख्या 1 के साथ वैवाहिक जीवन को फिर से शुरू करने में रुचि रखता था। हालाँकि अपीलकर्ता का आरोप है कि उत्तरदाता संख्या 1 और उत्तरदाता संख्या 2 व्यभिचार में रह रहे हैं और एक बच्चे का जन्म हुआ था, जिसे वह अवैध होने का दावा करता है, लेकिन न तो उसने बच्चे का डीएनए परीक्षण करने का कोई प्रयास किया है और न ही उसने किसी

प्राधिकरण या न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई याचिका दायर की है, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि केवल तलाक के मामले में कानूनी आधार बनाने के लिए, ये आधारहीन आरोप अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए हैं।

25. जहाँ तक तलाक लेने के लिए क्रूरता के आधार का संबंध है, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में 'क्रूरता' शब्द को विशिष्ट शब्दों और भाषा में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि क्रूरता ऐसे चरित्र और आचरण की है जो दूसरे जीवनसाथी के मन में एक उचित आशंका है कि विपक्षी उत्तरदाता के साथ रहना उसके लिए हानिकारक और नुकसानदेह होगा।

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समर घोष बनाम जया घोष के प्रमुख मामले में 2007 (4) एस. सी. सी. 511 में बताया कि एक पति या पत्नी का निरंतर अनुचित आचरण और व्यवहार वास्तव में दूसरे पति या पत्नी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जिस उपचार की शिकायत की गई है और जिसके परिणामस्वरूप खतरा या आशंका बहुत गंभीर, पर्याप्त और भारी होनी चाहिए। अधिक मामूली चिड़चिड़ापन, झगड़ा, विवाहित जीवन का सामान्य टूट-फूट जो दिन-प्रतिदिन के जीवन में होता है, मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

27. इस संदर्भ में, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एआईआर 1975, 1534 में प्रतिवेदित नारायण गणेश दास्ताने बनाम सुचेता नारायण दास्ताने के मामले में दिए गए निर्णय के दौरान की गई महत्वपूर्ण टिप्पणी को उद्धृत करना चाहते हैं, जो इस प्रकार है:-

*"एक अन्य मामला जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है, वह यह है कि हालांकि धारा 10 (1) (बी) के तहत, याचिकाकर्ता की यह आशंका कि दूसरे पक्ष के साथ रहना हानिकारक या क्षतिकारक होगा, उचित होनी चाहिए, ऐसी*

आशंका के संदर्भ को छोड़कर, एक उचित व्यक्ति की अवधारणा को आयात करना गलत है, जैसा कि वैवाहिक संबंध के निर्णय की लापरवाही के कानून के लिए जाना जाता है। पति-पत्नी से निस्संदेह यह माना जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने संयुक्त उद्यम का यथासंभव सर्वोत्तम संचालन करें, लेकिन यह वैवाहिक जीवन के तौर-तरीकों पर दर्शन के प्रति क्रूरता के आरोप में न्यायालय का कोई कार्य नहीं है। हो सकता है कि किसी को दिन का काम देर से पूरा करना पड़े और किसी को गोल्फ खेलने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़े। न्यायालय इनकी आदतों या शौक पर यह परीक्षण लागू नहीं कर सकती कि क्या एक समान रूप से स्थित एक समझदार व्यक्ति इसी तरह का व्यवहार करेगा। "यह सवाल कि क्या दुर्व्यवहार की शिकायत क्रूरता का गठन करती है और तलाक के उद्देश्यों के लिए ऐसा मुख्य रूप से कृत्यों की शिकायत करने वाले विशेष व्यक्ति पर इसके प्रभाव से निर्धारित होता है। सवाल यह नहीं है कि क्या आचरण एक उचित व्यक्ति या औसत या सामान्य संवेदना वाले व्यक्ति के लिए क्रूर होगा, बल्कि यह है कि क्या इसका पीड़ित पति या पत्नी पर वह प्रभाव पड़ेगा। जो एक व्यक्ति के लिए क्रूर हो सकता है उसे दूसरे द्वारा हँसा जा सकता है, और जो परिस्थितियों के एक समूह के तहत एक व्यक्ति के लिए क्रूर नहीं हो सकता है वह परिस्थितियों के दूसरे समूह के तहत अत्यधिक क्रूरता हो सकती है।" न्यायालय को एक आदर्श पति और आदर्श पत्नी

(यह मानते हुए कि ऐसा कोई अस्तित्व में है) के साथ नहीं, बल्कि उससे पहले विशेष रूप से पुरुष और महिला के साथ व्यवहार करना है। आदर्श युगल या एक निकट-आदर्श व्यक्ति के पास शायद वैवाहिक न्यायालय में जाने का कोई अवसर नहीं होगा, भले ही वे अपने मतभेदों को आकर्षित करने में सक्षम न हों, उनका आदर्श दृष्टिकोण उन्हें आपसी दोषों और विफलताओं को नजरअंदाज करने या छिपाने में मदद कर सकता है।”

28. अपीलकर्ता-पति की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त संपूर्ण दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य को देखने के बाद, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता-पति उत्तरदाता संख्या 1 के अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति क्रूर व्यवहार को ठोस, प्रासंगिक और विश्वसनीय साक्ष्य के बल पर साबित करने में विफल रहा है, जबकि क्रूरता के प्रमाण का भार इस मामले के अपीलकर्ता-पति पर है, क्योंकि उसने उत्तरदाता संख्या 1 के क्रूर व्यवहार के आधार पर तलाक से, राहत मांगी है। परिवार न्यायालय के समक्ष शिकायत में कथित क्रूरता की विशिष्ट तिथि के संदर्भ में एक भी घटना का आग्रह नहीं किया गया है। इसके अलावा, पत्नी (उत्तरदाता संख्या 1) अभी भी अपीलकर्ता के साथ रहने के लिए तैयार है। इसके अलावा, पति-पत्नी के दैनिक वैवाहिक जीवन में कभी-कभी कथित तौर पर कुछ तुच्छ कार्य या चूक या कुछ धमकी भरे और कठोर शब्दों का प्रयोग दूसरे जीवनसाथी को जवाब देने के लिए हो सकता है, लेकिन यह तलाक लेने का उचित/स्थायी आधार नहीं हो सकता। कुछ तुच्छ बयान या टिप्पणियों या केवल एक पति या पत्नी को दूसरे को धमकी देने को क्रूरता की डिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता है, जो तलाक की डिक्री के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है। स्वभाव और व्यवहार की कठोरता, तरीके की कठोरता और भाषा की कठोरता अलग-अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए और पले-बढ़े, जीवन के अलग-अलग स्तर पर रहने वाले,

अपनी शैक्षिक योग्यता की गुणवत्ता और समाज में अपनी स्थिति रखने वाले व्यक्ति से अलग-अलग हो सकती है जिसमें वे रहते हैं।

29. इस प्रकार, इस मामले के उपरोक्त सभी पहलुओं और दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करते हुए, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता क्रूरता के आरोप को साबित करने में विफल रहा है, और उत्तरदाता के क्रूर व्यवहार के आदेश को भी साबित करने में विफल रहा है, जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i) के तहत तलाक के आदेश को मंजूरी देने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है।

30. जहाँ तक व्यभिचार के आधार का प्रश्न है, व्यभिचार को एक विवाहित व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी या पति के अलावा किसी अन्य विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने के कृत्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, व्यभिचार को तलाक या न्यायिक पृथक्करण के आधारों में से एक माना गया है।

31. व्यभिचार के अपराध में आवश्यक तत्व ये हैं: (i) विवाह के बाहर संभोग का कार्य होना चाहिए और (ii) ऐसा संभोग स्वैच्छिक होना चाहिए।

32. अपीलकर्ता ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत अभिलेख पर नहीं लाया है कि उत्तरदाता संख्या 1 का उत्तरदाता संख्या 2 के साथ अवैध संबंध था और न ही उसने यह साबित किया है कि वे व्यभिचार में रह रहे थे और केवल तलाक याचिका में एक वैध आधार बनाने के लिए, ये आरोप उत्तरदाता संख्या 1 के खिलाफ बिना किसी सहायक सामग्री साक्ष्य के लगाए गए थे।

33. "जगदीश सिंह बनाम माधुरी देवी", (2008) 10 एस. सी. सी. 497 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के दायरे पर विचार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:

"24. इसमें कोई संदेह नहीं कि उच्च न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा था और इसलिए न्यायालय के लिए न केवल विधि के प्रश्नों पर, बल्कि तथ्यात्मक प्रश्नों पर भी विचार करना खुला था। यह स्थापित कानून है कि अपील मुकदमे की निरंतरता है। इस प्रकार, अपील मुख्य मामले की पुनः सुनवाई है और अपीलीय न्यायालय "मौखिक और दस्तावेजी" समस्त साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन, पुनः सराहना और समीक्षा कर सकता है और अपने निष्कर्ष पर पहुँच सकता है।

25. हालांकि, इसके साथ ही, अपीलीय न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह मौखिक साक्ष्य पर विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को ध्यान में रखे। यह नहीं भूलना चाहिए कि विचारण न्यायालय के पास गवाहों के व्यवहार को देखने का एक लाभ और अवसर था और इसलिए, विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को आम तौर पर बाधित नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलीय न्यायालय के पास मूल न्यायालय के समान ही शक्तियां हैं, लेकिन उनका उपयोग उचित सावधानी, सतर्कता और संयम के साथ किया जाना चाहिए। जब विचारण न्यायालय द्वारा तथ्य का निष्कर्ष मुख्य रूप से मौखिक साक्ष्य की सराहना पर दर्ज किया गया है, तो इसे तब तक हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि साक्ष्य के मूल्यांकन में विचारण न्यायालय

का दृष्टिकोण गलत, कानून के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत  
या अनुचित न हो।"

34. इसलिए, हमें वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं दिखता जिससे आक्षेपित निर्णय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उचित हो। पारिवारिक न्यायालय ने तलाक चाहने वाले अपीलकर्ता के वैवाहिक मामले को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

35. आक्षेपित फैसले की पुष्टि करते हुए वर्तमान अपील को तदनुसार खारिज किया जाता है।

(एस. बी. प्रसाद सिंह, न्यायमूर्ति)

(पी. बी. भजंत्री, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश)

शागीर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।